# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 9/2024 जीसीएमएस नं. 2024/9

दायर दिनांक 19.01.2024 निर्णय दिनांक 30.04.2025

1.सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साबला जिला डूंगरपुर

– अपीलाण्ट

**बनाम**

1.श्रीमती गमीर कुंवर पत्नी स्व. श्री विजय सिंह राजपुत निवासी गौठडा तहसील साबला, जिला डूंगरपुर

– रेस्पोडेण्ट्स

*अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970*

उपस्थित – 1.राजकीय पेरोकार – अपीलाण्ट
2.श्री दिनेश चन्द्र चौबीसा, अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट्स

–:निर्णयः– **दिनांक –30.04.2025**

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साबला द्वारा इस आशय का अपील प्रार्थना पत्र पेश किया कि मौजा गौठडा के खसरा नम्बर 2511/2060 रकबा 0.2427 है0 एवं खसरा नम्बर 2528/1190 रकबा 0.0809 है0 भूमि जरिये मिसल नंबर 1522 दिनांक 16.12.2021 को विपक्षी श्रीमती गमीर कुंवर पत्नी स्व. श्री विजय सिंह राजपुत निवासी गौठडा तहसील साबला को प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 केम्प स्थल ग्राम पंचायत झरीयाणा में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटन की शर्तो की पालना नही की गई एवं न ही मौके पर आदिनांक तक कब्जा है, उक्त भूमि गैर खातेदार दर्ज होकर आवंटन शर्तों की पालना नहीं होकर आवंटन नियम 14 (3) की पालना नहीं होने से निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया।



दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 2511/2060 रकबा 0.2427 है0 एवं खसरा नम्बर 2528/1190 रकबा 0.0809 है0 भूमि जरिये मिसल नंबर 1522 दिनांक 16.12.2021 द्वारा उक्त भूमि का आवंटन प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 केम्प स्थल ग्राम पंचायत झरीयाणा में किया गया है। आवंटित उक्त भूमि पर आवंटन होने के पश्चात कब्जा सुपुर्द करने की दिनांक से आज दिन तक अभी तक निरन्तर बेरोकटोक कब्जा बना हुआ है। प्रार्थी की ओर से मौका पर्चा दिनांक 29.09.2023 को बनाया गया है। पर्चा मौका की कार्यवाही करने की सूचना प्रार्थी द्वारा विपक्षीया को अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नही दी गयी है और मौका पर्चा की कार्यवाही के समय विपक्षीया उपस्थित नही थी और न ही उसके परिवार का कोई सदस्य उपस्थित था। मौका पर्चा पर जिन मौतबीर व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये है, वे सभी व्यक्ति तथा महिलाओ के विरूद्ध विपक्षीया के परिवारजन के द्वारा वाद पेश किया गया है। जिनमे यह सभी प्रतिवादीगण है। जिनमें विपक्षीया तथा उसके परिवारजन का भूमि विवाद चल रहा है। मौतबीर व्यक्तियों के द्वारा आपसी द्वेषता एवं विवाद के कारण राजस्व कर्मचारियों से मिलकर यह पर्चा मौका बनवाया गया है और कार्यवाही की गई है। विपक्षीया द्वारा आवंटन के पश्चात आवंटन नियम के किसी भी नियम का उल्लंघन नही किया गया है। विपक्षीया को आवंटित भूमि पहाडी होने से विपक्षीया ने इस पर काफी व्यय कर इसको काश्त करने योग्य बनाया है और आवंटित भूमि पर समय समय पर पशुओ हेतु घास एवं बाजरा की फसल की गयी है और आज भी आवंटित भूमि पर काश्त की हुयी है। पर्चा मौका दिनांक 29.09.2023 को बनाया गया है। उस दिनांक के पूर्व घास व अन्य फसल को काटा जा चुका था। विपक्षीया को आवंटित भूमि खसरा संख्या 2528/1190 रकबा 0.0809 है0 भूमि विपक्षीया की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1185 के पास में स्थित है। जिस पर विपक्षीया का कब्जा होने से विपक्षीया ने आवंटित करवायी थी और खसरा संख्या 2511/2060 रकबा 0.2427 है0 भूमि पहाडी भूमि होने से जिसको रेस्पोडेण्ट द्वारा काफी व्यय कर इसको साफ करवाया था और काश्त करने योग्य बनाया था। उक्त दोनो काश्त की भूमि



दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

में निरन्तर काश्त कर घास तथा अन्य फसल ऋतु के अनुसार बो कर प्राप्त कर रही है। वादग्रस्त आराजी पर विपक्षीया का निरन्तर बेरोकटोक काश्त बना हुआ है। विपक्षीया की जानकारी में आया है कि पर्चा मौका में अंकित मौतबीर की शिकायत पर ही कार्यवाही की गयी है और उक्त व्यक्तियों के द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलकर विपक्षीया की उपस्थिति के बिना मौका पर्चा दिनांक 29.09.2023 को बनाया गया है, जिसमे उनके द्वारा मिथ्या कथनो को अंकित करवाया गया है। मौका पर्चा दिनांक 29.09.2023 में जिन मौतबीरान के हस्ताक्षर है उनके विरूद्ध विपक्षीया के पुत्र तथा विपक्षीया ने काश्त की भूमि का विवाद होने से वाद उपखण्ड अधिकारी, आसपुर में न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। वाद ईश्वर सिंह बनाम अंजली कुँवर वगैराह होकर विचाराधीन है। विपक्षीया के द्वारा भूमि आवंटन नियम 1970 के किसी भी नियम का उल्लंघन नही किया गया है। विपक्षीया तथा उसके परिवार का मुख्य आय का साधन काश्त ही है। जिसके नही रहने पर विपक्षीया को तथा उसके परिवारजन को बडी भारी परेशानी होगी तथा मानसिक वेदना होगी और आजीविका का साधन ही समाप्त हो जायेगा। इस कारण रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया जाना न्याय संगत नही है। अतएव जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थनापत्र /वाद निराधार होने से निरस्त करना फरमावे तथा विपक्षीया को आवंटित भूमि को यथावत कायम रखी जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

**4. हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।**

**5.** पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा गौठडा के खसरा नम्बर 2511/2060 रकबा 0.2427 है0 एवं खसरा नम्बर 2528/1190 रकबा 0.0809 है0 भूमि जरिये मिसल नंबर 1522 दिनांक 16.12.2021 को विपक्षी श्रीमती गमीर कुँवर पत्नी स्व0 विजय सिंह राजपुत निवासी गौठडा तहसील साबला को प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 केम्प स्थल ग्राम पंचायत झरीयाणा में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटन की शर्तो की पालना



दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

नही की गई एवं न ही मौके पर आदिनांक तक कब्जा है, उक्त भूमि गैर खातेदार दर्ज होकर आवंटन शर्तो की पालना नहीं होकर आवंटन नियम 14(3) की पालना नहीं होने से निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा एवं लिखित बहस के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा नम्बर 2511 / 2060 रकबा 0.2427 है0 एवं खसरा नम्बर 2528 / 1190 रकबा 0.0809 है0 भूमि जरिये मिसल नंबर 1522 दिनांक 16.12.2021 द्वारा उक्त भूमि का आवंटन प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 केम्प स्थल ग्राम पंचायत झरीयाणा में किया गया है। आवंटित उक्त भूमि पर आवंटन होने के पश्चात कब्जा सुपुर्द करने की दिनांक से आज दिन तक अभी तक निरन्तर बेरोकटोक कब्जा बना हुआ है। प्रार्थी की ओर से मौका पर्चा दिनांक 29.09.2023 को बनाया गया है। पर्चा मौका की कार्यवाही करने की सूचना प्रार्थी द्वारा विपक्षीया को अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नही दी गयी है और मौका पर्चा की कार्यवाही के समय विपक्षीया उपस्थित नही थी और न ही उसके परिवार का कोई सदस्य उपस्थित था। मौका पर्चा पर जिन मौतबीर व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये है, वे सभी व्यक्ति तथा महिलाओ के विरूद्ध विपक्षीया के परिवारजन के द्वारा वाद पेश किया गया है। जिनमे यह सभी प्रतिवादीगण है। जिनमें विपक्षीया तथा उसके परिवारजन का भूमि विवाद चल रहा है। मौतबीर व्यक्तियों के द्वारा आपसी द्वेषता एवं विवाद के कारण राजस्व कर्मचारियों से मिलकर यह पर्चा मौका बनवाया गया है और कार्यवाही की गई है। विपक्षीया द्वारा आवंटन के पश्चात आवंटन नियम के किसी भी नियम का उल्लंघन नही किया गया है। विपक्षीया को आवंटित भूमि पहाडी होने से विपक्षीया ने इस पर काफी व्यय कर इसको काश्त करने योग्य बनाया है और आवंटित भूमि पर समय समय पर पशुओ हेतु घास एवं बाजरा की फसल की गयी है और आज भी आवंटित भूमि पर काश्त की हुयी है। पर्चा मौका दिनांक 29.09.2023 को बनाया गया है। उस दिनांक के पूर्व घास व अन्य फसल को काटा जा चुका था। विपक्षीया को आवंटित भूमि खसरा संख्या 2528 / 1190 रकबा 0.0809 है0 भूमि विपक्षीया की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1185 के पास में स्थित है। जिस पर विपक्षीया का कब्जा होने से



दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

विपक्षीया ने आवंटित करवायी थी और खसरा संख्या 2511/2060 रकबा 0.2427 है0 भूमि पहाडी भूमि होने से जिसको रेस्पोडेण्ट द्वारा काफी व्यय कर इसको साफ करवाया था और काश्त करने योग्य बनाया था। उक्त दोनो काश्त की भूमि में निरन्तर काश्त कर धारा तथा अन्य फसल ऋतु के अनुसार बो कर प्राप्त कर रही है। वादग्रस्त आराजी पर विपक्षीया का निरन्तर बेरोकटोक काश्त बना हुआ है। विपक्षीया की जानकारी में आया है कि पर्चा मौका में अंकित मौतबीर की शिकायत पर ही कार्यवाही की गयी है और उक्त व्यक्तियों के द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलकर विपक्षीया की उपस्थिति के बिना मौका पर्चा दिनांक 29.09.2023 को बनाया गया है, जिसमे उनके द्वारा मिथ्या कथनो को अंकित करवाया गया है। मौका पर्चा दिनांक 29.09.2023 में जिन मौतबीरान के हस्ताक्षर है उनके विरूद्ध विपक्षीया के पुत्र तथा विपक्षीया ने काश्त की भूमि का विवाद होने से वाद उपखण्ड अधिकारी, आसपुर में न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। वाद ईश्वर सिंह बनाम अंजली कुँवर वगैराह होकर विचाराधीन है। विपक्षीया के द्वारा भूमि आवंटन नियम 1970 के किसी भी नियम का उल्लंघन नही किया गया है। विपक्षीया तथा उसके परिवार का मुख्य आय का साधन काश्त ही है। जिसके नही रहने पर विपक्षीया को तथा उसके परिवारजन को बडी भारी परेशानी होगी तथा मानसिक वेदना होगी और आजीविका का साधन ही समाप्त हो जायेगा। इस कारण रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया जाना न्याय संगत नही है।

अतः प्रार्थी का प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

**7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।**

8. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी मौका गौठडा के ख.न 2511/2060 रकबा 0.2427 है. एवं खसरा न. 2528/1190 रकबा 0.0809 है. भूमि जरिये मिसल नंबर 1522 दिनांक 16.12.2021 को विपक्षी श्रीमती गमीर कुँवर पत्नी स्व0 विजय सिंह राजपुत निवासी गौठडा तहसील साबला को प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 केम्प स्थल ग्राम पंचायत झरीयाणा में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

तहसीलदार साबला द्वारा उपरोक्त आवंटीत आराजी को निरस्त कराने हेतु अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत *नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970* पेश किया जिसमें उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किया जाना एवं आवंटित आराजी पर आदिनांक तक कब्जा नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार आवंटी द्वारा नियम 14 (3) की पालना नहीं की हैं। राजकीय पैरोकार द्वारा बहस में यह कथन किया है की नियम 14 (3) अनुसार आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि को काश्त एवं उपयोग किया जाना आवश्यक हैं।

पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड/दस्तावेज अनुसार आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात आवंटित आराजी में काश्त किये जाने के साक्ष्य के रूप में खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं किया हैं। आवंटी द्वारा जो खसरा गिरदावरी पेश की है वह वर्ष 2024 (संवत 2081) की है, जबकि आवंटी को आराजी वर्ष 2021 में आवंटित हुई। अतः आवंटित भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष 2022, द्वितीय वर्ष 2023 में काश्त किया जाना होता है। उपरोक्त वर्षो की कोई खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है जिसमें फसल काश्त किया जाना साबित होता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अपील स्वीकार की जाकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल न. 1522/2021 दिनांक 16.012.2021 को मौजा मौठडा के खसरा नम्बर 2511/2060 रकबा 0.2427 है0 एवं खसरा नम्बर 2528/1190 रकबा 0.0809 है0 भूमि रेस्पोडेण्ट गमीर कुँवर पत्नि विजय सिंह के आवंटन आदेश को निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार साबला आवंटित भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर (राजस्थान)

क्रमांक / प्र.सं.9 / 2024 / रीडर / एडीएम / 25 / 449 दिनांक:– 21.5.25

निमित्त,

तहसीलदार
साबला

विषयः– निर्णयानुसार पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के निम्नांकित अनवान प्रकरण में निर्णयानुसार पालना की जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति इस पत्र के संलग्न प्रेषित है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| प्रकरण संख्या 9 / 2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन ) नियम, 1970 निर्णय दिनांक 30.04.2024 | सरकार भूमिधारी तहसीलदार साबला जिला डूँगरपुर | बनाम | श्रीमती गमीर कुँवर पत्नी स्व. विजय सिंह राजपुत निवासी गौठडा तहसील साबला जिला डूंगरपुर |

संलग्नः– निर्णय प्रति

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूँगरपुर